

फार्म वर्ष 2020

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०
 १. अधिकारी/कर्मचारी का (फूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ३।। चंद्रना शुभला
 २. वर्तमान धारित पद
 ३. वर्तमान वेतन : ५२०००+ (प्राप्तियुक्त)+अगली बेतवृद्धि की तरीख १. अक्टूबर 2020.

उस जिले, उप संचार, लालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर थाहित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	***खारी, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे आवृत्ति की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	उसे किस प्रकार अवित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
३१४ चैलाक वर्षन्धरा शुभला पुलर ओवाल (मृदुग)	पुलर	-	-	१७.०० (प्राप्तियुक्त) ल. १२८	स्वयं पाते हुए नाम पर है मेरे नाम पर है इतना है इतना नहीं होता है !	स्वयं पाते हुए नाम पर है मेरे नाम पर है इतना है इतना नहीं होता है !	पर्व १७.५ में छठे वीक्षण की तरीके अन्तर्गत विरासत में घटती है ! स्वयं वर्ष कूल भवान्युक्त दिया गया !	भाविताना८० ०५ अक्टूबर कार्यों के अन्तर्गत विरासत में घटती है ! स्वयं वर्ष कूल भवान्युक्त दिया गया !	हस्ताक्षर

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सर्वर्थ में लागभा मूल्य बताया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पहट भी सम्मिलित है।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह शोषण-प्रभ भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की दर्दा ३२ के द्वारा अनुरूप तथा उन्हें विवाह से योग्य भाव से अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसकी अन्य व्यक्तिगत नाम पर पटें या अन्य कार्याधारित समस्त प्रचल रूप सम्पत्ति के बारे में।